

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 18/2 /2019

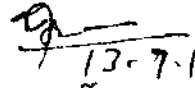
दिनांक 13.09.2019

श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167). निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को दिनांक 17.09.2019 से 19.09.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा "अत्री" की अनुपस्थिति में अति. निदेशक (अकादमिक). राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से


13.9.19

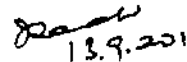
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/2013/ 0714

दिनांक 13.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक 62 दिनांक 05.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।
4. अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।


13.9.2019

सहायक रजिस्ट्रार